

एफ नं. एच-11012/1/2023-संसद

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
(संसद अनुभाग)

अटल अक्षय ऊर्जा भवन,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
दिनांक: 10 नवंबर, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 18वीं लोक सभा के 06वें सत्र और राज्य सभा के 269वें सत्र का प्रारम्भ - अनंतिम कैलेंडर (शीतकालीन सत्र, 2025) - तत्संबंधी।

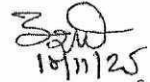
अधोहस्ताक्षरी को यह बताने का निदेश दिया गया है कि 18वीं लोक सभा के 06वें सत्र और राज्य सभा के 269वें सत्र (शीतकालीन सत्र-2025) अनंतिम रूप से 1 दिसंबर से 19 दिसंबर, 2025 तक शुरू होने वाला है।

2. इस मंत्रालय के संबंध में लोक सभा/राज्य सभा के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आवंटित अनंतिम दिन निम्नानुसार हैं:

सदन	दिन	दिनांक
लोक सभा	मंगलवार	2, 9 और 16 दिसंबर, 2025
राज्य सभा	बुधवार	3, 10 और 17 दिसंबर, 2025

3. संसद के सदनों में स्वीकृत प्रश्नों के संबंध में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उत्तरों की प्रतियों की अपेक्षित संख्या उस तारीख से पहले कार्य दिवस पर 1500 बजे तक संसद को भेजी जानी आवश्यक है, जिस तारीख को प्रश्नों का उत्तर दिया जाना है, आमतौर पर यह क्रमशः सोमवार और मंगलवार को होता है।

4. अतः सभी प्रभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि वे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा विधिवत अनुमोदित उत्तर संसद अनुभाग को प्रश्नों के उत्तर की नियत तारीख से पहले दो कार्य दिवसों में सकारात्मक रूप से प्रातः 10.00 बजे तक प्रस्तुत करें ताकि उत्तर की अपेक्षित प्रतियां लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को समय पर या उससे पहले उपलब्ध करा दी जाएं।


10/11/25

(अजित कुमार शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-20849147

सेवा में,

1. अपर सचिव एवं सीआरसीएस
2. अपर सचिव (प्रशासन)
3. संयुक्त सचिव (सीटीपी)
4. संयुक्त सचिव (सीडी)
5. संयुक्त सचिव (नीति)
6. सभी निदेशक/उप सचिव

प्रतिलिपि:

1. माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के निजी सचिव
2. माननीय सहयोग राज्य मंत्री (केपीजी) के निजी सचिव
3. माननीय सहयोग राज्य मंत्री (एमएम) के अपर निजी सचिव
4. सचिव (सहकारिता) के पीएसओ
5. निदेशक (एनआईसी), सहकारिता मंत्रालय - सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर इसे अपलोड करने के अनुरोध के साथ